UPJS100049012026

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा , जिला- झांसी ।

प्रकीर्ण वाद सं०/ एफ०आर० सं०- 44/ 2026

हर्ष कुमार बनाम प्रवेन्द्र सिंह ।

धारा- 316(2) , 115(2) , 352, 351(2) बी०एन०एस० ।

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी ।

मु०अ०सं०- 138/ 2025

दिनांक- 04. 06. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी । पत्रावली का अवलोकन किया ।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी हर्ष कुमार ने लिखित तहरीर थाना- गरौठा , जिला- झाँसी पर अभियुक्त प्रवेन्द्र सिंह के नाम दी थी, जिसके आधार पर संबंधित थाना पर मु०अ०सं०- 138/ 2025, अन्तर्गत धारा- 316(2) , 115(2) , 352, 351(2) बी०एन०एस० में हर्ष कुमार बनाम प्रवेन्द्र सिंह पंजीकृत किया गया एवं अपराध की विवेचना की गयी तथा विवेचना के उपरान्त पुलिस थाना- गरौठा , जिला- झाँसी द्वारा उक्त अपराध के संबंध में अन्तिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी जो न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत हुई एवं वादी को नोटिस प्रेषित किये गये ।

3. वादी/ प्रार्थी ने आज दिनांक- 04. 06. 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी हर्ष कुमार गुप्तापुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी- मु० इन्द्रानगर गरौठा का निवासी है । उक्त उन्मान में मुकदमा अपराध सं०- 138/ 25 मुझ वादी ने अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली गरौठा में दर्ज करवाई थी जिसमें विवेचक द्वारा एफ०आर० लगा दी गई जिसमें मुझ प्रार्थी / वादी अभियुक्त के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूँ इसलिए एफ०आर० स्वीकृत कर न्याय उचित आदेश किया जाना न्यायसंगत है । एफ०आर० स्वीकृत कर न्यायहित में आदेश करने की याचना की गई है ।

4. वादी/ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में वादी/ प्रार्थी हर्ष कुमार गुप्ता का न्यायालय में बयान अंकित किया गया कि मुझ प्रार्थी ने मुकदमा अ०सं०- 138/ 25 , थाना- गरौठा , जिला- झाँसी में दर्ज कराया था । उक्त मामले में थना गरौठा विवेचक द्वारा एफ०आर० (अंतिम रिपोर्ट) न्यायालय में प्रस्तुत की है जिस पर थाने द्वारा विवेचक द्वारा की विवेचना से संतुष्ट है । विवेचना से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसी स्तर पर कानूनी कार्यवाही समाप्त कराना चाहता है ।

5. विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती है ।

6. अतः सी०डी० के अवलोकन से तथा वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए मु०अ०सं - 138/ 2025, अन्तर्गत धारा- 316(2) , 115(2) , 352, 351(2) बी. एन. एस. में संबंधित पुलिस थाना द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं०- 06/ 2026 स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रकीर्ण वाद सं०/ एफ०आर० सं०- 44/ 2026, मु०अ०सं०- 138/ 2025, अन्तर्गत धारा- 316(2) , 115(2) , 352, 351(2) बी. एन. एस. में संबंधित पुलिस थाना- गरौठा , जिला- झाँसी द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सं० - 06/ 2026 स्वीकार की जाती है । पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो ।

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा , जनपद- झाँसी ।

आई. डी. नम्बर- U. P. JO Code- 2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.04 12:57:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court